

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत
पत्रांक-1742 /15-1, पीलीभीत, दिनांक 23 दिसम्बर, 2020

सेवा में,

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,
 पीलीभीत टाइगर रिजर्व,
 पीलीभीत।

विषय :-

इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लि० द्वारा बीसलपुर- बिलसण्डा मार्ग संख्या- 62 पी०ए० के चैनेज 14.346 से 14.381 वॉयी पटरी पर ग्राम- चरखौला, तहसील- बीसलपुर, जिला- पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या- 568 में रिटेल आउट लेट/ पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष की पातन अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Others31275/2018)

सन्दर्भ :-

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी, उ० प्र०, लखनऊ का पत्रांक- 495/11-सी 04.09.2020 FP/UP/Others/31275/2018

महोदय,


उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विषयक प्रकरण में लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कर दिया गया है।

अतः नोडल अधिकारी के पत्रांक-2501/11सी दिनांक 24.11.2016 द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार अनुपालन आख्या एवं प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ उच्च स्तर को भेजने की कृपा करें।

Observe No	Conditions	Status of Compliance
1	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Jeo Referenced Digital Map संलग्न है, किन्तु आनलाईन भाग- 01 में Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड नहीं है। आनलाईन भाग- 01 Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड करें।	प्रस्तावित वन भूमि का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Jeo Referenced Digital Map संलग्न करते हुए आनलाईन भाग- 01 Non Forest Area की के०एम०एल० फाईल अपलोड कर दी गयी है।
2	भूमि स्वामित्व वाले विभाग(लो०नि० विभाग) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रभाग पत्र संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा पुनः प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया है।	भूमि स्वामित्व वाले विभाग(लो०नि० विभाग) द्वारा ले आउट प्लान का सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न है।
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 50 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से प्रथक कर 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर आनलाईन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर आनलाईन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:-यथोपरि

भवदीय,



(संजीव कुमार)

प्रभागीय निदेशक,
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत